न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 181/2023 निर्णय दिनांकः-02.04.2025
(जीसीएमएस संख्या 2023/426)

1. परवीन आर्य पत्नी शिशुपाल आर्य जाति जाट निवासी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलांट

–बनाम–

1. अंग्रेज सिंह पुत्र हरदेवसिंह जाति रायसिख निवासी चक 3 डीओ ए तहसील छत्तरगढ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14–08–2023
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ

उपस्थितिः–

1. श्री जयचंदलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र शिमला, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 14–08–2023 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का बतौर स्माल पेच आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के धारण में तहसील छत्तरगढ के चक 3 डी ओ ए के मुरब्बा नम्बर 06/37 के किला नम्बर 1, 3 ता 5, 9 ता 12, 18, 19, 24 तादादी 10 बीघा खातेदारी भूमि है। अपीलांट की खातेदारी भूमि के चिपता रकबा किला नम्बर 20/2, 21/1, 22 एवं 23 की कुल तादादी 0.9610 हैक्टेयर भूमि अराजीराज उपलब्ध थी जो स्मालपेच आवंटन हेतु उपलब्ध थी। अपीलांट द्वारा दिनांक 19–06–2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त अराजीराज भूमि के स्मालपेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में आवेदित रकबे की रिपोर्ट हेतु प्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर गौर किये बिना अपीलाधीन अराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। स्मालपेच आवंटन हेतु प्रथम वरीयता अपीलांट की थी क्योंकि अपीलांट की भूमि अपीलाधीन अराजी के चिपती भूमि थी एवं यदि रेस्पोडेन्ट की भी वरीयता अदालत मातहत समान रूप से मानती तो भी अधीनस्थ न्यायालय को वादगत भूमि का आवंटन जरिये लॉटरी किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा ना केवल विधिविरूद्ध तरीके से वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है बल्कि खजानाराज को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि के आवंटन से पूर्व उसी मुरब्बे के काश्तकारों को नोटिस प्रदान नहीं किया जाकर प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का हनन किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत भूमि का आवंटन दिनांक 14–08–2023 को किया गया है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का शपथ पत्र दिनांक 16–08–2023 का है जिससे यह साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुचाने की नियत से आदेश पारित किया गया है।

आगे उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अराजी के चिपते काश्तकारों को आवंटन से पूर्व किसी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया है एवं यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित किया भी गया है तो उसकी तामील विधिवत रूप से नहीं करवाई गई है। ऐसे में स्मालपेच आवंटन नियमों के विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त योग्य होने से अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दिनांक 23–05–2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील स्तर से वादगत भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट में वादगत भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज होने, विवादग्रस्त नहीं होने, किसी अन्य श्रेणी में आरक्षित नही होने, अनिवार्य वन पट्टी का नहीं होने तथा अन्य किसी श्रेणी हेतु प्रस्तावित नहीं होने एवं वादगत भूमि बाबत केवल मात्र रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आवंटित भूमि की समस्त राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है एवं मौके पर अपीलांट काबिज काश्त होने से वादगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट के अधिकार स्थापित होने से अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि वादगत भूमि पर केवल मात्र अपीलांट की ही पात्रता नहीं थी बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि भी समान मुरब्बे में होने के कारण दोनों की पात्रता समान थी। जहां तक अपीलांट का यह कथन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा शपथ पत्र आवंटन आदेश के पश्चात प्रस्तुत किया है इस संबंध में यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट ने अपना शपथ पत्र आवंटन के पश्चात एवं आवंटन पट्टा जारी होने से पूर्व अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। अपीलांट को यदि वादगत भूमि हेतु पात्र भी माना जाता तो अपीलांट के धारण में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि है एवं अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें अपीलांट ने यह कथन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया हो कि उसके पास सिलिंग सीमा से कम भूमि धारण में है। ऐसे में वादगत भूमि के आवंटन हेतु केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत भूमि चक 3 डी ओ ए के मुरब्बा नम्बर 06/37 की कुल तादादी 0.9601 हैक्टेयर भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच आवंटन किये जाने के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रकरण मे जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है इस संबंध में सर्वप्रथम स्मालपेच आवंटन के नियम का अवलोकन किया गया। राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 के अनुसार **"Notwithstandin anything to the contrary contained in these rules, small patch of Government land may be allotted, to a tenure tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the ceiling area at the index price for land of a similar soil class in the neighbourhood.**

Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of small patch, the Allotting Authority shall make arrangement for making allotment of such small patch to the tenure tenant of the same chak or of the adjoining chak."

उक्त प्रावधान के आलोक में यह स्पष्ट है कि स्मालपेच भूमि के आवंटन हेतु प्रथम वरीयता स्मालपेच के चिपते काश्तकार की होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को चिपती अराजी होने के आधार पर अपीलाधीन अराजी आवंटित की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटित भूमि मुरब्बा नम्बर 06/37 के किला नम्बर 20 ता 23 में स्थित है व अपीलांट के धारण में भूमि मुरब्बा नम्बर 06/37 के किला नम्बर 1, 3 ता 5, 9 ता 12, 18, 19, 24 में स्थित है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण की भूमि मुरब्बा नम्बर 06/37 के किला नम्बर 6 ता 8, 13 ता 15 में स्थित है। इससे यह स्पष्ट है कि आवंटित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन अराजी केवल अपीलांट की खातेदारी भूमि के चिपती भूमि थी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नहीं।

इसके अलावा अधिवक्ता अपीलांट ने अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादगत भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19–06–2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था एवं आवंटन से पूर्व प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था। अपीलांट जोकि प्रश्नगत अराजी के चिपता काश्तकार था एवं जिसका आवंटन हेतु आवेदन पत्र भी विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर कोई विवेचन नहीं किया है। जहां तक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की यह आपत्ति कि अपीलांट के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है। यह तथ्य आवंटन से पूर्व आवंटन अधिकारी द्वारा तय किया जाना है।

उक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलांट का आवेदन पेण्डिग होने एवं अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश द्वारा किया गया आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 के प्रावधानों के अनुरूप ना होने के कारण पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–08–2023 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए एवं उभय पक्षों के सीलिंग सीमा की जांच करते हुए वादगत भूमि बाबत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर